



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59696

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 707/2026

किशोर X

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राहुल सिंह दहिया

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

दिनांक 20.3.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार , प्रतिपक्षी संख्या 2 को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इस पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 101 के तहत आपराधिक अपील संख्या 117/2025 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), किशोर न्यायालय , हापुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2026 के साथ धारा 109, 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा अपराध संख्या 100/2025 से उत्पन्न, जमानत आवेदन संख्या 90/2025, थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़ के तहत विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 को रद्द/अपास्त करने के लिए दायर की गई है।

पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 14 वर्ष, 6 माह और 29 दिन का किशोर था; वह 17.11.2025 से जेल में है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;

(iii) डीपीओ की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(v) याचिकाकर्ता को अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में रखा गया है;

(vi) किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(vii) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और विधि विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई है।

राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने इस आपराधिक पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया। यह कहा गया है कि रिपोर्ट की गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण को खारिज कर दिया जाए।

यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह मानने के लिए उचित आधार हों कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है या उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपील न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी स्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये स्थितियाँ हैं:

(i) यदि रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है, या

(ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।

इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि घटना की तिथि पर आवेदक नाबालिग था। डीपीओ की टिप्पणियों के आलोक में, आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहराए। आवेदक के पिता, आवेदक की रिहाई पर, अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं, यानी आवेदक की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखने का वचन देते हैं।

उपरोक्त के मददेनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। परिणामस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। दिनांकित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मददेनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता-X (किशोर) को, उसके प्राकृतिक अभिभावक अजय कुमार (पिता) के माध्यम से, उपरोक्त मामले में अभियोजित अपराध के लिए, 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानत दार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) अभियोक्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकाएगा नहीं;
- (ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
- (iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताए बिना अनुपस्थित रहता है , तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/269 बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर सकती है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दें।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

23 मार्च, 2026

बृजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।